



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट/अपील

दिनांक-04.11.2024

साइबर सेल

- शिकायतकर्ता के खाते से फ्रॉडस्टर द्वारा ठगे गये 3,88,000/- रुपये वापस कराये गये।

संक्षिप्त विवरण:-

आवेदक श्रीमती प्राची दुबे द्वारा दिनांक 10.05.2024 को एक प्रार्थना पत्र साइबर क्राइम सेल हजरतगंज, लखनऊ में दिया गया था जिसमें अंकित तथ्यों के अनुसार इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुल 3,88,000/- रुपए ठग लिए गए।

साइबर सेल द्वारा की गयी कार्यवाही:-

शिकायतकर्ता द्वारा साइबर सेल में दिये गये प्रार्थनापत्र को सीसी संख्या 2957/2024 पर पंजीकृत कर प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश चन्द्र साहू के आदेशानुसार आरक्षी जितेंद्र सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही की गयी जिसमें कृत कार्यवाही के क्रम में संबंधित कंपनी बैंक खातों में रुपये होल्ड/फ्रीज कराया गया। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये साइबर ठग द्वारा ली गयी आनलाईन फ्रॉड की धनराशि 3,88,000/- रुपये को शिकायतकर्ता के खाते में पुनः वापस कराया गया है।



साइबर क्राइम सेल द्वारा की गई कार्यवाही के फल स्वरूप आवेदक अपनी धनराशि पाकर अत्यंत प्रसन्न है तथा पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए धन्यवाद प्रकट किया गया है।

रुपये वापस कराने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश चन्द्र साहू प्रभारी साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री आदेश बालियान साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
3. म0उ0नि0 श्रीमती आरती वर्मा साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
4. आ0 जितेंद्र सिंह साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
5. आ0 सुनील कुमार साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

अपील:- किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी जैसे कार्ड नं०, सीवीवी, खाता नं० ओटीपी आदि शेयर न करे तथा कोई भी ऐप किसी अज्ञान व्यक्ति के कहनुसार डाउनलोड न करे।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट

दिनांक- 04.11.2024

जोन-पश्चिमी/ थाना माल

- 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

थाना माल पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियान के अन्तर्गत 01 नफर वारण्टी अभियुक्त शोरा उर्फ शेरबहादुर पुत्र कल्लू रैदास नि० ग्राम दनौर थाना माल जनपद लखनऊ को मा० न्यायालय एडीजे/ पॉक्सो-1 लखनऊ द्वारा जारी वारण्ट वाद सं० 497/2021 मु०अ०सं० 23/2021 धारा 376बी/363/506/366 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना माल लखनऊ में मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम दनौर थाना माल में अभियुक्त के घर दबिश दी गयी, अभियुक्त अपने घर पर मौजूद मिला। माननीय न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र से अवगत कराते हुए दिनांक 04.11.2024 पुलिस हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।



नाम व पता वारण्टी अभियुक्त:-

1-शोरा उर्फ शेरबहादुर पुत्र कल्लू रैदास नि० ग्राम दनौर थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 49 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

1- मु०अ०सं० 23/2021 धारा 376बी/363/506/366 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना माल लखनऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ० नि० श्री प्रिन्स कुमार थाना माल लखनऊ

2-उ० नि० श्री अमरपाल साहू थाना माल लखनऊ

